प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 20.02.2026

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा वादिया के पति पर जान से मारने की नीयत से हमला करने वाले 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 20.02.2026 को थाना टीलामोड़ पर वादिया ने लिखित तहरीर दी और बताया कि मेरे पति सचिन कसाना की मोटर साइकिल में अभियुक्तगण की ब्रेजा गाडी टकराने को लेकर गाली-गलौज कर ईंट पत्थर से मारपीट करना तथा वादिया द्वारा अपने पति को बचाये जाने पर वादिया के साथ मारपीट करने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 191(2), 115(2), 281, 352 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त प्रकरण में थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए वादिया के पति पर जान से मारने की नीयत से हमला करने वाले 03 अभियुक्तगण 1. मोहित तोमर पुत्र स्व0 सुधीर तोमर निवासी ग्राम बावली थाना बडौत बागपत उम्र करीब 28 वर्ष, 2. स्यराज पुत्र स्व0 ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम महावतपुर बावली थाना बडौत बागपत उम्र करीब 61 वर्ष व 3. कुलवीर सिंह पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम महावतपुर बावली थाना बडौत बागपत उम्र करीब 50 वर्ष को एम0आर0 बैकट हाल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध तमामी विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा 109(1) बीएनएस के अपराध का होना पाये जाने के उपरान्त पंजीकृत अभियोग की धारा191(2), 115(2), 281, 352 बीएनएस में धारा 109(1) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्तगण शादी में शामिल होने के लिए एम0आर बैंकट हाल सिकन्दरपुर में जा रहे थे कि अचानक वादिया के पति सचिन की मोटर साइकिल अभियुक्तगण की कार के आगे आ गयी थी, जिससे मोहित तोमर ने अपने साथी स्यराज व कुलवीर के साथ मिलकर सचिन के साथ जान से मारने के उद्देश्य से घटना स्थल से ईंट लेकर सचिन पर हमला कर घायल कर दिया और उसे मौके पर छोड़कर भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. मोहित तोमर पुत्र स्व0 सुधीर तोमर निवासी ग्राम बावली थाना बडौत बागपत उम्र करीब 28 वर्ष।
2. स्यराज पुत्र स्व0 ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम महावतपुर बावली थाना बडौत बागपत उम्र करीब 61 वर्ष।
3. कुलवीर सिंह पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम महावतपुर बावली थाना बडौत बागपत उम्र करीब 50 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर वादिया के पति पर जान से मारने की नीयत से हमला करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा Eskuf Cough Syrup व Phensedyl Cough Syrup की कालाबाजारी व तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के सदस्य सौरव त्यागी निवासी कमिश्नरेट गाजियाबाद की तस्करी से अर्जित लगभग 2 करोड़ रुपये मूल्य की सम्पत्ति सीज।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में अपराध शाखा/स्वाट टीम व नन्दग्राम पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 03/04.11.2025 को 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 04 ट्रकों से चूने के बोरों के बीच में छिपाकर रखी कुल 1150 पेटी में 1573500 शीशी कोडीन युक्त Eskuf Cough Syrup Phensedyl Cough Syrup कुल मूल्य लगभग 03 करोड़ 40 लाख, एक क्रेटा कार नं0 UP 14 FB 2244, 20 लाख रूपये नगद, 02 लैपटॉप व 10 मोबाइल, फर्जी मोबाइल सिम, मुहर व TAPENTADOL EXTENDED RELEASE TABLETS की कुल 19 स्ट्रिप आदि दस्तावेज बरामद किये गये।

सौरव त्यागी द्वारा एन.सी.आर. में उक्त कफ सिरप को एकत्रित कर तस्करी किया जाता था। सौरव त्यागी द्वारा आर.एस. फार्मा फर्म के माध्यम से तस्करी की जा रही थी।

विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त सौरव त्यागी, उसके पत्नी मोहिनी द्वारा विगत 5 वर्षों में दाखिल इनकम टैक्स रिटर्न के आधार पर इनकी कुल आय 59,78,260/- रुपये थी। जबकि अभियुक्त सौरव त्यागी द्वारा वर्ष 2020 से 2025 के मध्य अपने व अपनी पत्नी के नाम पर 2 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति अर्जित की गई जो कि Eskuf Cough Syrup की तस्करी से अर्जित अवैध धन से प्राप्त की गई हैं।

अभियुक्त द्वारा विभिन्न फर्मों के माध्यम से Eskuf Cough Syrup की तस्करी से अर्जित अवैध धन से अपने तथा अपनी पत्नी मोहिनी त्यागी के नाम पर शक्ति खण्ड-II, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद के एरोस मार्केट प्लेस में दुकान संख्या 016 तथा कृष्णा अपरा डी-माल के शाप नं0 ए-30, न्याय खण्ड–I, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद में दुकान संख्या KS-19 खरीदी थी, इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा 4 कारें खरीदी गईं, जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपये है।

क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	मूल्य
1.	**दुकान संख्या A-30**, भूतल, कृष्णा अपरा डी-मॉल, प्लॉट संख्या-1, शक्ति खंड-2, इंदिरापुरम, गाजियाबाद।	**44,61,790/-**
2.	**दुकान संख्या 016**, भूतल, एरोस मार्केट प्लेस, प्लॉट संख्या-02, शक्ति खंड-II, इंदिरापुरम, गाजियाबाद।	**66,96,090/-**
3.	**व्यावसायिक दुकान का पता** — दुकान संख्या KS-19, भूतल, न्याय खंड-1, इंदिरापुरम, गाजियाबाद।	**23,44,000/-**
4.	**मारुति वैगन-आर एलएक्सआई सीएनजी**, पंजीकरण संख्या **UP14EH9829**।	**4,98,999/-**
5.	**ह्युंडई ग्रैंड i-10 निओस 1.2 एमटी सीएनजी**, पंजीकरण संख्या **UP14FD8950**।	**7,69,800/-**
6.	**ह्युंडई क्रेटा 1.5 CRDi एमटी एसएक्स**, पंजीकरण संख्या **UP14FB2244**।	**15,43,100/-**
7.	**मारुति वैगन-आर वीएक्सआई सीएनजी**, पंजीकरण संख्या **UP14GA7215**।	**6,89,500/-**

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा N.D.P.S. Act, 1985 की धारा 68-F की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अवैध धन से अर्जित की गई इन सम्पत्तियों को जब्त किया गया है।

गिरफ्तार व बरामद/जब्तीकरण करने वाली पुलिस टीम।

1. अपराध शाखा/स्वाट टीम

2.साइबर टीम

3.थाना नन्दग्राम पुलिस टीम

सहायक पुलिस आयुक्त, शालीमार गार्डन व थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा सर्च एवं रेस्क्यू अभियान के दौरान म0न0 134 रोजपार्क शालीमार गार्डन एक्स01 में चल रहे अनैतिक देह व्यापार में सम्मलित 01 अभियुक्त(ग्राहक) व 02 अभियुक्ता(संचालिका/मैंनेजर) गिरफ्तार, कब्जे से 02 मोबाइल फोन व आपत्तिजनक सामग्री बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 19.02.2026 को सहायक पुलिस आयुक्त, शालीमार गार्डन व थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा सर्च एवं रेस्क्यू अभियान के दौरान मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि म0न0 134 रोजपार्क शालीमार गार्डन एक्स 01 में अनैतिक देह व्यापार का कारोबार किया जा रहा है। जिसमें भोली-भाली गरीब महिलाओं को बहला फुसलाकर देह व्यापार कराया जा रहा है। जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए सहायक पुलिस आयुक्त, शालीमार गार्डन व थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा म0न0 134 रोजपार्क शालीमार गार्डन एक्स 01 में चल रहे अनैतिक देह व्यापार में सम्मलित 01 अभियुक्त(ग्राहक) दीपक कुमार झा पुत्र बच्चन झा निवासी शहीद नगर मैट्रो के पास थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष व 02 अभियुक्ता(संचालिका/मैंनेजर) को 02 मोबाइल फोन व आपत्तिजनक सामग्री सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ताओं के विरुद्ध अन्तर्गत धारा

3/4/5/6 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ताओं से पूछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि दोनों महिला मिलकर सैक्स रैकेट चलाती हैं। महिला संचालिक द्वारा मकान में अनैतिक कमाई करने के लालच में महिलाओं से अनैतिक देह व्यापार कराकर ग्राहकों से पैसे लिये जाते है, संचालिका द्वारा महिलाओं को काम दिलाने व पैसों का लालच देकर बहला फुसलाकर प्रतिदिन अनैतिक देह व्यापार कराया जा रहा था। इस कार्य को करने में ग्राहकों से 1,200/-धनराशि लेकर 500/- रुपये महिलाओं को भरण पोषण हेतु दिया जाता था।

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता का नाम व पता:-

1. दीपक कुमार झा पुत्र बच्चन झा निवासी शहीद नगर मैट्रो के पास थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष(ग्राहक)
2. 02 अभियुक्ता (संचालिका/मैंनेजर)

बरामदगी का विवरण:-

- 02 मोबाइल फोन व आपत्तिजनक सामग्री बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ताओं के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर अनैतिक देह व्यापार से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्यआपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद में इस सप्ताह दिनांक 19.02.2026 को न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था/यातायात कमिश्नरेट गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत सुनवाई के उपरान्त लूट/झपटमारी करने, धोखाधड़ी कर आर्थिक क्षति पहुँचाना, आपराधिक अतिचार, मारपीट/गाली-गलौंज करने चोट पहुँचाने व धमकी देने की घटना कारित करने जैसे सम्बन्धी आदि अपराधों में लिप्त निम्नलिखित 03 विपक्षी/ अभियुक्तों को गुण्डा घोषित कर 06 माह के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। निम्नांकित अभियुक्तों/गुण्डों द्वारा उपरोक्त अपराध शीर्षक में लिप्त होने के उपरान्त जनता में इनका इतना भय व्याप्त है कि जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध कोई रिपोर्ट पंजीकृत कराने व साक्ष्य देने का साहस नहीं जुटा पाता है। इनके जनपद गाजियाबाद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) हो जाने के उपरान्त आम-जनमानस में भयमुक्त, अपराधमुक्त एवं शांति पूर्ण माहौल होने का विश्वास पैदा होगा :-

क्र0 सं0	वाद संख्या	थाना	विपक्षी का नाम व पता	आपराधिक इतिहास
1	303/2025	नन्दग्राम	बोबी उर्फ बॉबी पुत्र रविन्द्र निवासी गली नं0-10 हिताची एटीएम के सामने वाली गली) घूकना थाना नन्दग्राम, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 175/2025 धारा 304(2) बीएनएस थाना इन्दिरापुरम, 2. मु0अ0सं0 247/2025 धारा 304(2) बीएनएस थाना इन्दिरापुरम, 3. मु0अ0सं0 339/2025 धारा 304(2) बीएनएस थाना इन्दिरापुरम, 4. मु0अ0सं0 356/2025 धारा 304(2) बीएनएस थाना इन्दिरापुरम, 5. मु0अ0सं0 369/2025 धारा 304(2) बीएनएस थाना इन्दिरापुरम, 6. मु0अ0सं0 400/2025 धारा 304(2) बीएनएस थाना इन्दिरापुरम, 7. मु0अ0सं0 428/2025 धारा 304(2) बीएनएस थाना इन्दिरापुरम, 8. मु0अ0सं0 430/2025 धारा 304(2),317(2) बीएनएस थाना इन्दिरापुरम
2	310/2025	ट्रोनिका सिटी	नकुल पुत्र राजेश निवासी अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 55/2025 धारा 324(4),329(3),351(3),352 बीएनएस थाना ट्रोनिका सिटी, 2. मु0अ0सं0 720/2023 धारा 323,420,447,504,506 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी
3	311/2025	ट्रोनिका सिटी	अनुज पुत्र राजेश निवासी अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद	1. मु0अ0सं0 55/2025 धारा 324(4),329(3),351(3),352 बीएनएस थाना ट्रोनिका सिटी, 2. मु0अ0सं0 646/2023 धारा 147,323 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी, 3. मु0अ0सं0 706/2023 धारा 147,323,420,427,447,504,506 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी, 4. मु0अ0सं0 720/2023 धारा 323,420,447,504,506 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी

यह भी उल्लेखनीय है कि कमिश्नरेट गाजियाबाद में वर्ष **2026 में 19** -विपक्षी/अभियुक्तों को गुण्डा घोषित कर 06 माह के लिये जनपद की सीमाओं से बहिष्कासन (जिला बदर) तथा वर्ष **2026 में** 05- विपक्षी/अभियुक्त को स्थानीय थाने में हाजिरी देने हेतु आदेशित किया गया है।